

क्रमांक एफ () सर्वे/एफसीए/उवस/
निमित्त,

कार्यालय उप वन संरक्षक, टोंक

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/14903/2015 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.स.	प्रकरण में लगाये गये आक्षेप	कार्यवाही विवरण
1	मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा अवगत कराया कि एफ आर ए प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न कर दिये गये हैं। ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट 1 में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र में जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 14.9.2015 का जारी प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत चांदली एवं निवारिया का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। इसमें ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है। जो प्रस्तावित है।	यूजर एजेंसी ने ग्राम पंचायत बैठक विवरण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट प्रेषित किया है। जो संलग्न है। पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचना में ^{point} संख्या 27 पर Pdf File अपलोड की गई है।
2	यूजन एजेंसी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग का पत्र संलग्न किया गया है उक्त पत्र को एम.ओ.ई.एफ. लखनऊ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये के संबंध में दस्तावेज या राजस्व दस्तावेज जिससे सड़क बनाया जाना 1980 से पूर्व प्रदर्शित होता है।	संबंधित पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत चांदली द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है। वन खण्ड आवां की ब्लॉक पत्रावली की प्रति इस कार्यालय द्वारा संलग्न की गई है, जिससे चांदली से आवां जाने वाले मार्ग का विवरण दिया गया है। जिसमें रास्ते की चौड़ाई 12 फुट दर्शाई गई है, उक्त दस्तावेजों से यह पुष्टि होती है कि यह मार्ग वर्ष 1980 से पूर्व ही प्रचलन में था।
3	प्रस्ताव में बिदूवार पालना रिपोर्ट की हार्ड प्रति मय संलग्न प्राप्त नहीं हुई है। जो प्रस्तावित है।	हार्ड कॉपी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(के.के.सक्सेना)

उप वन संरक्षक
टोंक